Act No. 40 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 19

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) निरसन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा पारित)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) निरसन विधेयक, 2013

खण्डों का नाम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. 2007 के अधिनियम संख्यांक 13 का निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) निरसन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा पारित)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 13) का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) निरसन अधिनियम, 2013 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : 2007 के अधिनियम संख्यांक 13 का निरसन और व्यावृत्तियां।

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(ग) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, और

ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम के उपबन्ध निरसित न किए गए हों :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति या किया गया प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, किया गया आदेश या जारी किए गए निदेश, बनाया गया नियम, किया गया रजिस्ट्रीकरण, प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति, अधिरोपित की गई अनुज्ञप्ति फीस या कोई अन्य फीस सहित, की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक कि यह नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 23) के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसे की गई समझी जाएगी, मानो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 13) निरसित न किया गया हो और ऐसी कोई नियुक्ति, प्रत्यायोजन, अधिसूचना, आदेश, निदेश, नियम, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस या अन्य फीस तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक तदनुसार अतिष्ठित न कर दी जाए।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला–171004.
दिनांक : 9. 5.–2013.

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूं

राज्यपाल
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

शिमला–171002.
दिनांक : 7–5–2013.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 19 OF 2013

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) REPEAL BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) REPEAL BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Repeal of Act No. 13 of 2007 and savings.

Bill No. 19 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) REPEAL BILL, 2013

(As Passed by the Legislative Assembly)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Private Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007(Act No. 13 of 2007).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Private Clinical Establishments (Registration and Regulation) Repeal Act, 2013. Short title.

2. The Himachal Pradesh Private Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007 is hereby repealed: Repeal of Act No. 13 of 2007 and savings.

Provided that such repeal shall not affect,—

(a) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or

(b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Act; or

(c) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and

any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the provisions of the said Act had not been repealed :

Provided further that anything done or any action taken, including any appointment or delegation made, notification, order, or directions issued, rule made, registration made, license granted, license fee or any other fee imposed, under the Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Act No. 23 of 2010), be deemed to have been done or taken as if the Himachal Pradesh Private Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007 (Act No.13 of 2007) had not been repealed and any such appointment, delegation, notification, order, direction, rules, registration, license, duty, license fee or other fee shall continue to be in force accordingly until suspended.

मैं, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) निरसन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 19) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) निरसन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 19) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।